



बिहार  सरकार



पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील कृषक/मछुआ/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए " आद्रभूमि का विकास तथा प्रथम वर्ष इनपुट " की योजना की स्वीकृत प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान की अनुमान्यता है। इस योजना के निम्नलिखित अवयव स्वीकृत हैं -

i) आद्र जल भूमि का विकास -

- इकाई लागत- ₹ 5.00 लाख ।
- लक्ष्य- 76.9 हेक्टेयर।

ii) प्रथम वर्ष इनपुट की योजना (नव विकसित आद्रभूमि हेतु)- :-

- 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर।
- लक्ष्य :-76.9 हेक्टेयर।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं।

इच्छुक मत्स्य कृषक/मछुआ अपना आवेदन अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर जमा करें। इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या 580 दिनांक 27.02.2017 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट [www.ahd.bih.nic.in](http://www.ahd.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है।

  
निदेशक मत्स्य  
बिहार, पटना।